"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2006—पौष 30, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 605/24/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 4 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को धारा 5-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित की जाय, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक सदस्य भारत वर्ष के भीतर एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार किराये की सीमा तक निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा का हकदार होगा. ऐसे सदस्य को, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जाय, रेल यात्रा के लिए रेल्वे कूपन भी उपलब्ध कराये जाएंगे."

(दो) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ अधिकतम रुपये पच्चासी हजार किराए की सीमा तक हवाई यात्रा कर सकेगा. रेल एवं हवाई यात्रा पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार से अधिक का नहीं होगा.

परन्तु यह और भी कि ऐसे सदस्य इस सुविधा के लिए दिनांक 15-2-2005 से हकदार होंगे."

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2006

क्रमांक 605/24/21-अ/प्रारुपण/06.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) (संशोभन) अधिनियम, 2005 (क्र. 4 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 4 of 2006)

THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA (VETAN, BHATTA TATHA PENSION) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 5-A.

2. For sub-section (1) of Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya (Vetan, Bhatta Tatha Pension) Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act) the following shall be substituted, namely :—

"(1) Every member shall be entitled to tour within India by rail and air, free of cost, within the fare limits of rupees One Lac Twenty five thousand in a financial year. Such member shall also be provided with railway coupons for railway journey which shall subject to such rules as may be made by the State Government in this behalf."

(2) For first proviso of sub-section (1), the following shall be substituted, namely :—

"Provided that every member may travel by air alone or with any person accompanying with the fare limits of Rupees Eighty Five Thousand. The expenditure on the journey performed by rail and air shall not exceed Rupees One lac Twenty Five Thouand in a financial year.

Provided further that such members shall be entitled for such facility from 15-2-2005."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.